

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 494/2024 अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीएक्ट

1. भानी राम पुत्र श्री अमर सिंह जाति जाट निवासी बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ (राज0)।
2. भीम सिंह पुत्र श्री अमर सिंह जाति जाट निवासी बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ (राज0)।
3. राकेश पुत्र श्री अमर सिंह जाति जाट निवासी बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ (राज0)।

-वादीगण

बनाम

1. अमर सिंह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ (राज0)।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री गौरीशंकर वर्मा वकील-वादीगण
श्री मांगीलाल वर्मा वकील प्रतिवादी सं. 1
पेरोकार राज-प्रतिवादी सं. 2

निर्णय दिनांक- 13.11.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष श्री दुलीचन्द अठवाल वकील वादीगण व पेरोकारराज की उपस्थिति में चक 6 के. एम. के खाता संख्या 2/46 के प0नं0- 214/396(6) के किला नं0- 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 की 2.5300है0 तथा चक 4 के.एम. के खाता संख्या 3/27 के प0नं0- 213/395(30) के किला नं0- 16, 25 की 0.5060है0 अनकमाण्ड, प0नं0- 214/395(31) के किला नं0- 20 ता 22 की 0.7590है0 अनकमाण्ड कुल 1.2650है0 अनकमाण्ड भूमि के वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 को ब हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 13.11.2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

